निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मुख्य प्रधान प्रबन्धक, (संचा0)महोदय के परिपत्र सं0 2985 रोपी/16–39रोपी/जन0/17ई–टेण्डर दिनांक 18 अक्टूबर 2017 के निर्देशानुशार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र के लीडर रोड डिपो के अधीन सैनी बस स्टेशन पर जिला पंचायत कौशाम्बी द्वारा निर्मित एवं परिवहन निगम के स्वामित्व वाले चार सीट के शौचालय का संचालन एवं रख रखाव 24 माह तक करने हेतु अनुभवी व्यक्तियों/फर्मो से दिनांक **27.4.2018** को 14:00 तक सील्ड लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त दिनांक व समय के बाद किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा समय सारिणी का विवरण निम्नवत् है:–

1. निविदा फार्म विक्रय की तिथि:– **26.4.2018** तक।
   (अवकाश के दिनों को छोड़कर)
   निविदा प्रपत्र का मूल्य:–रु0 200.00 एवं 18% जीएसटी कुल 240.00 रुपया।
2. निविदा बाक्स में निविदा डालने की तिथि व समय:– **27.4.2018** को समय 14:00 बजे तक।
3. निविदा खोले जाने की तिथि व समय:– **27.4.2018** को 15:00 बजे तक।

ऐसे व्यक्ति/फर्म, जिन्हे किसी सार्वजनिक स्थान पर (जहाँ जन सामान्य का आना जाना अधिक है) सुलभ शौचालय के संचालन एवं रख रखाव का अनुभव है, को वरीयता दी जायेगी। निविदा के साथ प्रति माह ऑफर की गयी मासिक लाइसेन्स शुल्क के समतुल्य धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना, सक्षम पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र/निवास प्रमाण पत्र तथा निविदा प्रपत्र पर निविदा दाता को अपना पासपोर्ट साइज फोटो किसी अधिकारी से प्रमाणित कराकर लगाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जिस व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निविदा स्वीकार की जायेगी, उस व्यक्ति को उसी दिन मासिक लाइसेन्स शुल्क का दो गुना धनराशि और निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा टेण्डर मनी की धनराशि जब्त करते हुए क्रमशः द्वितीय पक्ष एवं तृतीय ऑफर दाताओं के पक्ष में स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी। अनुबन्ध हेतु भारतीय स्टाम्प एक्ट की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। किसी भी निविदा अथवा सर्म्पूण निविदा कार्यवाही को बिना कारण बताये, निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। निविदा प्रपत्र परिवहन निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com. पर उपलब्ध है, वेबसाइट से डाउन लोड की गयी निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य रु0 200.00 +जीएसटी (दो चालीस रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद जमा रसीद उपरोक्त पद नाम से संलग्न करना होगा। यदि उपरोक्त तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो उक्त निविदा कार्यवाही अगले कार्य दिवस के दिन सम्पन्न की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन केवल निगम के वेबसाइट पर ही जारी होगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

07/04/18

(राम सागर पान्डेय)
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
लीडररोड डिपो

कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
लीडर रोड डिपो

पत्रांक 439 /इला0/स0क्षे0प्र0/ली0रो0/संचा0/सैनी बस स्टेशन–शौचालय/नीलामी/18 दिनांक 07-4-18

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रधान प्रबन्धक (विविध), परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
2–सहायक प्रबन्धक, (ईडीपी) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त नीलामी सूचना, निविदा परिपत्र एवं शर्तों को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,...।
4–सेवा प्रबन्धक, परिवहन निगम इलाहाबाद।
5–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/डिपो प्रभारी इलाहाबाद।
6–नोटिस बोर्ड (सिविललाइन्स/सरांय अकिल/सैनी/लीडर रोड डिपो बस स्टेशन)।

07/04/18

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
लीडररोड डिपो

मूल्य - ~~300/-~~ 240/-

पास पोर्ट साइज नवीनतम फोटो ग्राफ राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लगाये।

उ0प्र0 परिवहन निगम

आपका अपना साथी

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,

इलाहाबाद क्षेत्र

टेण्डर फार्म (निविदा प्रपत्र)

निर्गत करने की तिथि–................................, निविदा संख्या इलाहाबाद–......................

निर्गत करने वाले अधिकारी की सील.................रसीद नं0..............दिनांक.......................

व हस्ताक्षर...डी0डी0 नं0.............................. दिनांक......................

1. निविदा दाता का नाम –...
2. पिता का नाम–...
3. पूरा का नाम– ....
4. अनुभव का विवरण –...
   (प्रमाण संलग्न करें)
5. प्रस्तावित मासिक लाइसेन्स शुल्क
   (अ). अंको मे ....
   (ब). शब्दो में ....
6. ठेके की अवधि– दो वर्ष.
7. टेण्डरमनी का विवरण डी0डी0 नं0 ....दिनांक ....
   बैंक का नाम ....
   (अ) धनराशि अंको में –...
   (ब). शब्दो मे –..

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

नोट–यदि निविदा प्रस्ताव स्वीकृत नही होता है तो जमा टेण्डर मनी का बैक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। निविदा द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकृत करने का एक मात्र अधिकार समक्ष अधिकारी को होगा। उपरोक्त शर्ते मुझे मान्य है।

टेण्डर दाता के हस्ताक्षर

Downloaded from www.upsrtc.com

संलग्नक - ब

मुख्य शर्ते

निविदा की मुख्य शर्ते निम्नवत हैः—

1. जिन संचालकों के नाम परिवहन निगम की काली सूची मे है, वे निविदा डालने के अर्ह नही होगे और उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ एक माह हेतु प्रस्तावित राशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप मे निविदा के साथ, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम इलाहाबाद के नाम बना हो, देना होगा। निविदा प्रपत्र मे बैंक ड्राफ्ट का विवरण देते हुए उसको संलग्न करते हुए टेण्डर सील बन्द लिफाफे मे प्रेषित कियें जायेगे।
3. निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल—चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर तथा अपनी फोटो (पासपोर्ट साइज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
4. अपूर्ण निविदा प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा।
5. निविदा में प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव की तीन गुना धनराशि टेण्डर मनी/टोकन मनी को समायोजित करते हुए प्रतिभूति के रूप मे नीलामी की तिथि मनी/टोकन मनी को समायोजित करते हुए प्रतिभूति के रूप मे नीलामी की तिथि को ही निगम कोष मे जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि न जमा करने पर टेण्डर मानी/टोकन जब्त कर ली जायेगी।
6. किसी भी निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को बना कारण बताये निरस्त करनें का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित होगा।
7. अनुबन्ध हेतु कुल ठेका मूल्य के 4% के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर ही अनुबन्ध होगा।

Downloaded from www.upsite.com

Arun-2013.doc

सलग्नक - ब

निगम की प्रसाधन/टायलेट इकाईयों की आउट सोर्सिंग आधारित मेण्टेनेंस व्यवस्था हेतु संक्षिप्त नियमावली

1– निगम के चिन्हित बस स्टेशनों पर उपलब्ध प्रसाधन/टायलेट इकाईयों को उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर रु० 50/– प्रतिसीट/दिवस के आधार पर सुलभ इन्टरनेशनल, नेडा आदि को डिपो स्तर से लाभकारी प्रस्ताव के रूप में डिपो स्तर से प्रबन्धन एवं संचालन हेतु 02 वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा।

2– इस योजना से आच्छादित होने वाले बस स्टेंशनों में पुरुष एवं महिला डब्लू–सी एण्ड टायलट यूनिट की वर्तमान संख्या के आधार पर संचालक को चयनित किया जायेगा। यदि निगम द्वारा सम्बन्धित बस स्टेशन पर और इकाईयां निर्मित की जाती है तो वर्तमान संचालक को "फर्स्ट राइट टू एक्सेप्टेन्स" होगा अर्थात् अवशेष अवधि के लिए वर्तमान दर प्रति सीट पर यदि वर्तमान संचालक स्वीकार करता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध होगी अन्यथा निगम द्वारा नये संचालक के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3– जिन बस स्टेशनों पर 10 से कम पुरूष/महिला डब्लू–सी व टायलेट यूनिट है उनके लिए रु० 10,000/– तथा 10 व अधिक सीटों पर रु० 20,000/– की बैक गारण्टी /धरोहर राशि जमा करायी जायेगी।

3– इन इकाईयों में सम्बन्धित एजेन्सी के कर्मी स्लेटी कलर की वर्दी में प्रत्येक पारी में ड्यूटीरत रहेंगे।

4– आबद्ध किये गये इकाई संचालक निगम कर्मियों के लिए निःशुल्क प्रयोग सुविधा देते हुए यात्रियों से अधिकतम रु० 3/– (गैर वातानुकूलित) व रु० 5/– (वातानुकूलित) व्यवस्था की स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे।

5– आबद्ध इकाई संचालक द्वारा वातानुकूलन सयंत्र के प्रयोग डिपो प्रबन्धक की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करते हुए रु० 3200/– प्रति टन/माह की दर से 02 माह की राशि अग्रिम जमा कर अग्रेतर नियमित मासिक भुगतान करना होगा। अन्य विद्युत प्रयोग के लिए प्रचलित व्यवस्थानुसार संचालक सबमीटर आधारित विद्युत प्रयोग का भुगतान करेगा।

6– संचालित ए०सी० इकाई में यात्री को डिटर्जेण्ट/सॉप व टावेल की व्यवस्था अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

7– दैनिक रूप से इकाई की सफाई जिसमें वॉल टाइल क्लीनिंग, प्रत्येक 2 घण्टे पर फ्लोर की डिसइन्फकेटेण्ट द्वारा मॉपिंग, टैप बेसिन व डोर क्लीनिंग सम्मिलित है अनिवार्यतः होगी।

8– संचालक को प्रत्येक छः माह पर संचालित इकाई की सर्फेस की पेण्टिग, डोर पेण्टिंग, फ्लोर एवं वॉल टायल रिपेयरिंग या आवश्यकतानुसार वॉश बेसन/यूरिन बाउल्स रिप्लेसमेण्ट करना होगा।

Kumar
28/9/12

Downloaded from www.upsrtc.com

9– उपरोक्तवत् निर्धारित की जा रही रखरखाव व्यवस्था में कमी पाये जाने पर निम्नवत् पेनाल्टी लगायी जायेगी जिसकी राशि आगामी दिवस संचालक को निगम कोष में जमा करनी होगी :–

क्र0	पेनाल्टी प्राविधान	10 कम डब्लू–सी टायलेट इकाईया	10 या अधिक डब्लू–सी टायलेट इकाईया
1.	प्रथम अवसर	100 / –	250 / –
2.	द्वितीय अवसर	200 / –	500 / –
3	तृतीय अवसर	500 / –	1000 / –

उक्त तीनों अवसर के उपरान्त यदि पुर्नावृत्ति पायी जाती है तो डिपो प्रबन्धक द्वारा 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देते हुए संचालक की पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

10– किन्ही परिस्थितियों में यदि उसी संचालक से अवशेष कार्य अवधि में संचालन कराये जाने की स्थिति आती है तो, क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्व से दुगनी धरोहर राशि जमा कराते हुए एक अवसर दे सकेंगे परन्तु यदि नया संचालक चयन करना संभव हो तो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अनिवार्यतः अनुमति दिया जाना विवशता न होगी।

11– उपरोक्तवत् निर्धारित की जा रही 02 वर्षीय व्यवस्था के समापन के न्यूनतम 03 माह पूर्व नये संचालक के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाया करेगी।

CKumar
28/9/12

Downloaded from
www.upsrtc.com